न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 33/2020

अपीलांट

1. जोधपुरी पुत्र चंदनपुरी फौत के कायम मुकाम
   1/1 उषा देवी पुत्री फुलपुरी उम्र 61 वर्ष
   1/2 भंव
   रपुरी पुत्र फुलपुरी उम्र 68 वर्ष तमाम जातियान स्वामी, निवासीगण आहोर, जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. मदनसिंह पुत्र चुनसिंह फौत के कायम मुकाम
   1/1 राजुल कंवर पुत्री मदनसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी आहोर, जिला जालोर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 16/10/20

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा बउनवान जोधपुरी के कायम मुकाम बनाम मदनसिंह के कायम मुकाम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.09.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त पक्षकार के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम आहोर के पुराने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

33/2020

जोधपुरी पुत्र चंदनपुरी के का.मु उषा देवी वगैरह बनाम मदनसिंह पुत्र चुनसिंह के का.मु. राजुलकंवर वगैरह

पेज संख्या 2/4

खसरा नंबर 313 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी पुराना राजस्व रेकर्ड मिसल बंदोबस्त संवत 2009 से 2028 में अपीलांट के दादा एवं परदादा जोधपुरी पुत्र चंदनपुरी का नाम दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि रही है एवं उक्त भूमि अपीलांटगण के पूर्वजो के नाम दर्ज है। अपीलांट के दादा जोधपुरी का देहान्त हो जाने के पश्चात अपीलांटगण के पिता फुलपुरी के नाम वादग्रस्त आराजी नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ, जिसका उनको पुश्तैनी आराजी होने के नाते अपने जीवनकाल में उपयोग एवं उपभोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। किन्तु अपीलांट के पिता द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर एवं न्याय एवं कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए संपूर्ण आराजी को प्रतिवादी को जरिये पंजीयन बेचाननाम जरिये दिनांक 24.02.1968 को बेचान कर दिया, जबकि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी होने के कारण उक्त बेचाननामा अपीलांट के 2/3 हिस्से की सीमा तक शुरू से ही शून्य दस्तावेज है। पुराने खसरा नंबर 313 के सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नंबर 1009 बनाये गये। चालू जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की कम्पयूटर प्रति में रेस्पोडेन्ट मदनसिंह का खसरा नंबर 1009 कुल रकबा 2.67 हैक्टेर की भूमि में 1/24 हिस्सा दर्ज है जो वर्तमान हैक्टर प्रणाली अनुसार 0.11125 हैक्टेर बनता है एवं रेस्पोडेनट मदनसिंह की आज से करीब 12–13 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, किन्तु वादग्रस्त आराजील पर उनके वारिस राजुलकंवर का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से आदिनांक तक फौतगी म्यूटेशन भी दर्ज नहीं हो पाया है। रेस्पोडेन्ट का रकबा 0.11125 हैक्टेर भूमि में अपीलांट का 2/3 हिस्सा यानि 0.07466 हैक्टेर पुश्तैनी हक बनता है। अपीलांट के पिता फुलपुरी को अपने जीवनकाल में पुश्तैनी आराजी में अपीलांटगण के हिस्से की आराजी को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को दरकिनार करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम आहोर के पुराने खसरा नंबर 313 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम आहोर के पुराने खसरा नंबर 313 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा अपीलांट के दादा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एवं परदादा जोधुपरी पुत्र चंदनपुरी का नाम दर्ज है, जिससे यह प्रकरण में निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की पुश्तैनी आराजी है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में तनकीयात विनिश्चिय कर मूल निर्णय पारित नहीं किया है, किन्तु प्रकरण की परिस्थितियो को देखते हुए इस संबध में हाजा न्यायालय के समक्ष बिन्दु कायम कर जैर अपील निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है।

हस्तगत प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि

(1)क्या कोई व्यक्ति अपनी पुश्तैनी सम्पति में अपने हक हिस्से से अधिक आराजी बेचान करने का अधिकारी है अथवा नहीं ?

(2) क्या पुश्तैनी सम्पति में किसी अन्य अजनबी क्रेता को दखलदांजी करने का अधिकार है अथवा नहीं ?

प्रथम कानूनी बिन्दु के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड के अवलोकन किया गया, जिसमें यह निर्विवाद सत्य है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी आराजी थी एवं पुश्तैनी आराजी होने के नाते हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानो के तहत अपीलांटगण के उक्त आराजी में जन्म से ही अधिकार निहित हो जाते है। ऐसी परिस्थितियो में अपीलांट के पिता फुलपुरी द्वारा अपने हिस्से से अधिकार आराजी का जो बेचान प्रतिवादी के पक्ष में किया है उक्त बेचान शुरू से ही शून्य है। अपीलांटगण के पिता को वादग्रस्त आराजी में केवल मात्र अपने हक हिस्से तक का बेचान करने का अधिकार था, किन्तु अपीलांट के पिता ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानो के विपरित जाकर पुश्तैनी आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान प्रतिवादी के पक्ष मे किया है जो स्वतः ही शून्य है। अत उक्त बिन्दू कानूनी रूप से अपीलांट के पक्ष में होने से उक्त बिन्दु अपीलांट के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

द्वितीय बिन्दु के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी आराजी है एवं पुश्तैनी आराजी पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत खातेदार का जन्म से अधिकार निहित हो जाते है तो ऐसी परिस्थितियो में वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण अपीलांट का उक्त आराजी में जन्म सिद्ध अधिकार है। पुश्तैनी आराजी में अपने हक हिस्से से अधिक आराजी का किया गया बेचान शुरू से शून्य है, जिससे उक्त आराजी पर किसी अन्य खातेदार का कोई अधिकार नहीं होने से उक्त आराजी पर अन्य खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत उक्त बिन्दू कानूनी रूप से अपीलांट के पक्ष में होने से अपीलांट के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपरोक्त बिन्दुओ के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की पुश्तैनी आराजी थी, जिसे अपने हक हिस्से से अधिक का बेचान करने का अधिकार अपीलांटगण के पिता को नहीं था। किन्तु उसके बावजूद अपीलांटगण के पिता द्वारा पुश्तैनी आराजी में अपने हक हिस्से की आराजी से अधिक का बेचान प्रतिवादी के पक्ष मे किया है जो शुरू से ही शून्य है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण अपीलांटगण का उक्त आराजी में जन्म से ही अधिकार निहित होने से अपीलांटगण के पिता द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में अपने हक हिस्से से अधिक किया गया बेचान शुरू से ही शून्य है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील के समर्थन में **खसाल पुत्र धनाराम एवं जोगाराम पुत्र वगताजी** के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, जिसके अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना एवं वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी होना ताईद किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानो एवं उक्त महत्वपूर्ण तथ्यो को दरकिनार करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर आहोर द्वारा बउनवान जोधपुरी के कायम मुकाम बनाम मदनसिंह के कायम मुकाम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.09.2020 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलांटगण को रेस्पोडेन्ट मदनसिंह के ग्राम आहोर के वर्तमान खसरा नंबर 1009 कुल रकबा 2.67 हैक्टेर भूमि में से 1/24 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा यानि 0.07466 हैक्टेर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलांटगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद करे। रेस्पोडेन्टगण को स्थाई निंषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह अपीलांट के हक–हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली